

पत्र संख्या : ७ब/४७०० यो० जल सं०-०१/२०१८ ..... २३८

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/  
मुख्य अभियंता, चाण्डिल/ईचा-गालूडीह, सुवर्ण रेखा परियोजना;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २९/०३/२०१९

विषय :—

मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80—सामान्य, लघु शीर्ष-796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796130545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :—

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-१९/१०-११ प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७००—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

(लाख रु. में)

क्र०	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (५+६)
1.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य, / 796 — जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796130545	0.00	8.00	8.00

आवंटित राशि — ₹ आठ लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के संशोधित बजट उपबंध ₹ ८५००.०० लाख (₹ पचासी करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक 17.04.98, १८०० (वि.) दि. 15.07.2003, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक—१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक १/PMC/कार्य/४०४/०६ (पार्ट II) १९/१०-११ प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट-२, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

2/2

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-१

29/03/19

J

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की रीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/संचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रूपों के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथारीद्ध प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

अन् :— यथोक्त

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मख्य सचिव

卷之五

रँची दिनांक :- 29/03/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौंवा/चाईबासा/चापिडल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं राज्यकोषागार पदाधिकारी को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अन्तः— यथोक्त

(अरुण कुमार सिंह)

ज्ञापांक :— 238

गुंडी दिनांक : 29/03/2019

अनलग्नक—यथोक्त ।

2918

(राजेन्द्र प्रसाद)

(राजन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार) अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह  
अपर मख्य सचिव

पत्रांक :- 238 दिनांक 29/03/2019 का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष - 13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796130545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपवंध ₹ 8500.00 लाख (₹ पचासी करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

क्र०	प्रान्तका नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रासानिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्त
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु वितरणी प्र० सं०-३, मानांगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)	चांडील कॉम्पलेक्स / ईचा-गालुडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा बहुद्वेर्षीय परियोजना	19/10-11 प्र०स्टी, दिनांक-14.10.2010 954/08.10.18	661374.00	569168.00	1400.00	8.00	1408.00	107472	Execution Case No- 02/12 M/s Pancham Singh (Vijeta Construction Ltd. Vs State of Jharkhand में पारित चाय निर्णय के अनुपालन में।
			योग	1400.00	8.00	1408.00					

आवंटित राशि - ₹ आठ लाख मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधिक)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(हेमता कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)  
आपर मुख्य सचिव  
29-2-19

पत्रांक :- २३४

दिनांक २७/०३/२०१९ का अनुलानक

परिशिष्ट-२

माँग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष - 13-सुवर्णीखा परियोजना (राज्य योजना)

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य, विप्र कोड - 49S470080796130545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपबंध ₹ 8500.00 लाख (₹ पचासी करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वार्ष 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रस्ता	राशि		पूर्त का आवंटन	प्रत्यापृत राशि	संशोधित आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	लघु वितरणी प्र० सं०-२, चाइडल शिविर डिमाना, जमशेदपुर (JSRIRR009)	चाइडल कॉम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णीखा बहुदेशीय परियोजना	19/10-11 प्र०स्वी, दिनांक-14.10.2010 954/08.10.18	661374.00 569168.00	3688.36 8.00	3680.36 94749	3688.36 8.00	3680.36 94749			

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ आठ लाख मात्र।

२३४

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभिः)

२३४

(रमेश कुमार द्व्वै)

विशेष सचिव

२३४

(हमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-१

२३४

(अरुण कुमार सिंह) २७.३.१९

अपर मुख्य सचिव